

212

880
2712

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)



R4349-II-16

नंद कुमार पिता राजरूप मिश्रा, निवासी ग्राम चोरगड़ी, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म0प्र0)

-----निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

गया प्रसाद पिता राजरूप मिश्रा, निवासी ग्राम चोरगड़ी, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म0प्र0)

-----गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

श्री. मुकेश माशिमि एडवोकेट
द्वारा आज दि 27-12-16 को
प्रस्तुत

यलर्क ऑफ कोर्ट 27-12-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

WB
श्री. मुकेश माशिमि
27-12-16 एडवोकेट
ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी म0प्र0 के प्रकरण क्र0-59/अ-27/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 16/12/16 के विरुद्ध

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16/12/16 विधि, प्रक्रिया तथा न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विरुद्ध होने से काविल निरस्तगी है ।

2- यह कि निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दो बटनवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखा था जिनका प्रकरण क्र0-59/अ-27/2012-13 एवं प्रकरण क्र0-52/अ-27/2012-13 है, जो पिता की एक पैत्रिक सम्पत्ति थी व एक स्वअर्जित

3



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-4349-दो / 2016

जिला-सीधी

नंद कुमार विरुद्ध गयाप्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील रामपुर नैकिन, जिला-सीधी के प्र.क्र. 59/अ-27/2012-2013 में पारित आदेश दिनांक 16-12-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला-सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 18-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> 	 <p>(आर.क. जैन) सदस्य</p>